20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

35

श्रीमान राजस्व मण्डल अध्यक्ष महोदय ग्वालियर म.प्र.

निग -3491 - II 16

प्र.क्र. /2016

संकट मोचन तनय रामसुमेर ब्राहम्मण सकिन क्रोन चौहना नं. 1 तहसील हुनमना जिला रीवा म.प्र. ....**निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

1. राजमणि तनय रामअनुगृह ब्राहम्मण सकिन चौहना नं. 1 तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.
2. रामस्वरूप (मृतक) ब्राहम्मण सकिन चौहना नं. 1 तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.
3. मु. मनोजवती पत्नी रमबक्स ब्राहम्मण सकिन चौहना नं. 1 तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.
4. स्व. अनिल पिता रामबक्स ब्राहम्मण सकिन चौहना नं.1 तहसील हनुमना रीवा म.प्र.

...............**गैरनिगरानीकर्ता**

विषय– निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 198 ए, 27, 15, 16, आदेश दिनांक 16.09.2016 तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.

माान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकि्या के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हनुमना सर्किल पहाड़ी के संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन नहीं किया। वर्ष 1958–59 की खतौनी में मालिक कास्तकार जरिये हिस्सा बांट दर्ज है तथा पूर्व में बअन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3491-दो/16 **जिला** - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 198/अ-27/15-16 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	